Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding Inter-State water sharing agreement

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : महोदया, मैं केंद्र सरकार का ध्यान भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां पहला अंतर्राज्य जल समझौता 19 जनवरी, 1955 को हुआ। इसमें राजस्थान प्रदेश को अपने हिस्से का 8.6 एमएएफ पानी मिलना तय हुआ। दूसरा समझौता 13 जनवरी, 1959 को हुआ, जिसमें सतलुज का पानी राजस्थान को देना तय हुआ। तीसरा समझौता 31 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ। चौथा समझौता 24 जून, 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में हुआ, लेकिन राजस्थान को आज भी 0.6 एमएएफ पानी नहीं मिल रहा है।

मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि पंजाब से पूरा पानी राजस्थान को दिलाने के लिए राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए और राजस्थान का एक सदस्य बीबीएमबी में नामित करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुऐपेद्र सिंह चंदेल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री हरीश चद्र मीना, श्री राहुल कास्वां, श्री अर्जन लाल मीणा, श्री हरिओम सिंह राठौर, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री सुभाऐ चद्र बहेड़िया और श्री रामचरण बोहरा को श्री निहाल चन्द द्वारा उठाए गए विऐाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।